न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 163/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
चीमाराम पुत्र लच्छाराम जाति जाट निवासी शिवसागर, जेठानिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– देवाराम 2– भूराराम पुत्रान पूनाराम 3– जोगाराम पुत्र हुकमाराम 4– सुरतीदेवी पत्नी हुकमाराम 5– माणकराम पुत्र पीथाराम 6– खेताराम पुत्र पीथाराम सभी जातियान जाट निवासीगण शिवसागर जेठानिया, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–5–2016 जो उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा प्रकरण संख्या 14/2016 अनवान देवाराम बनाम सरकार मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री उम्मेद सिह बावरला अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री लाधूराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13–4–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमे वर्तमान अपीलांट को पक्षकार नही बनाया, केवल तहसीलदार शेरगढ को पक्षकार बनाते हुए कथन किया कि उनके खातेदारी की भूमि ग्राम शिवसागर के खेत खसरा नंबर 358/1 रकबा 35 बीघा भूमि आई हुई है तथा खसरा नंबर 358 एवं 358/1 एक ही चक मे स्थित है जबकि राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 358/1 तरमीम किया हुआ नही है तथा रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी मे खसरा नंबर 358 व 358/1 अलग–अलग दर्ज किये हुए है तथा उक्त खसरा नंबर 358/1 रकबा 35 बीघा एवं खसरा नंबर 358 की भूमि मे प्रार्थीगण के पडोसी खेतो की सीमा के कोई पक्के मुटाम मौके पर नही है न ही खेतो के बीच की पुरानी माठ मौके पर है, जिससे अपने–अपने खेतो की सीमा का सही ज्ञान नही होने से पडौसी खातेदारो के बीच सीमा का लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है इसलिए प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी के खेत की पैमाईश कर पत्थरगढी के आदेश पारित करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार

शेरगढ को आदेशित किया कि मौजा शिवसागर जेठानिया के मूल खसरा नंबर 358 की सम्पूर्ण भूमि नक्शे मे एवं उसके रकबे के अनुसार मौके पर स्थाई सीमा चिन्हो से नाप कर मौके पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया तथा उक्त कार्यवाही पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे सम्पन्न करने तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील अपीलांट ने धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय मे पेश की है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलांट जो कि अपीलाधीन भूमि एवं उस पर पारित आदेश से हितबद्ध होते हुए उसे पक्षकार बनाये बिना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर लिया जिसकी जानकारी अपीलांट को होने पर अपीलाधीन आदेश से अपीलांट प्रभावित होने से अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि पत्रावली नियमित कोर्ट मे वास्ते जवाब चल रही थी, जिसमे तारीख पेशी दिनांक 26–5–2016 नियत थी परंतु तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 9–5–2016 को आदेशिका से पत्रावली को लोक अदालत मे रखकर, मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना एवं विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही जल्दबाजी मे मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि का पडोसी खातेदार है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ने अपीलाधीन निर्णय मे यह माना है कि खसरा नंबर 358 के पडोसी खसरा नंबरो के खातेदारो की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने का आदेश किया जाना उचित है अथार्त अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ने खसरा नंबर 358 के खातेदारो को अपीलाधीन आदेश से हितबद्ध होना माना है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत दोषपूर्ण आवेदन को स्वीकार करने मे विणिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त भूमि के सभी पडोसियो को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात भूमिधारी तहसीलदार से वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे

तैयार कर मंगवाई जाती है तथा मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मौका रिपोर्ट पर सभी पक्षकारान के उजर एतराज सुनने के बाद ही मौका रिपोर्ट का भलीभांति अध्ययन करने के बाद विधिवत आदेश पारित किया जाने का प्रावधान है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पढकर सुनाया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे पडौसी खातेदारो की सुनवाई के निर्देश दिये गये थे जिसकी पालना मे पडोसी खातेदारान को दिनांक 4–6–2016 को जरिये पटवारी सुचित करते हुए दिनांक 9–6–2016 को मौजिज मौतबिरान व पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे खसरा नंबर 358 एवं 358/1 के खातेदारो के खर्चे से उक्त खसरे मे पत्थरगढी का कार्य सम्पन्न हो चुका है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो तथा वकील रेस्पो0 द्वारा बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया । अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट नही किया कि उनका हित किस प्रकार प्रभावित हुआ है और उन्हे अपील पेश करने की अनुमति किस बिनाय पर दी जाना आवश्यक है । अपीलांट ने अपील मीमो मे भी कही उल्लेख नही किया है कि उसका खसरा नंबर क्या है और न ही बहस के दौरान स्पष्ट कर पाये, केवल अपने आप को पडौसी खातेदार होना बताया है ।

बहस के दोरान न्यायालय द्वारा अपीलांट से जानकारी चाहने पर अपीलांट अधिवक्ता ने बहस के पश्चात फार्म नंबर 3 के सलंग्न ग्राम शिवनगर की जमाबंदी संवत् 2071–74 की प्रतिलिपी जिसमे अपीलांट को खसरा नंबर 357 का सहखातेदार दर्शाया हुआ है एवं मोमी ट्रेस की अपठनीय छायाप्रति पेश करते हुए अपीलांट खसरा नंबर 357 का खातेदार होने से वह अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होना बताया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2016 मे उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार शेरगढ को मौजा शिवसागर जेठानिया के मूल खसरा नंबर 358 की सम्पूर्ण भूमि नक्शे मे एवं उसके रकबे के अनुसार मौके पर स्थाई सीमा चिन्हो से नाप कर मौके पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया तथा उक्त कार्यवाही पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे सम्पन्न करने के भी निर्देश दिये गये थे । उक्त निर्णय की पालना मे के संबंध मे अपीलांट एवं पडोसी खातेदारान को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 4–6–2016 को सुचित करते हुए

दिनांक 9–6–2016 को मौजिज मौतबिरान व पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे खसरा नंबर 358 एवं 358/1 के खातेदारो के खर्चे से उक्त खसरे मे पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जाना बहस के दौरान रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रकट होता है ।

परंतु अपीलांट ने उक्त तमाम तथ्यो को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–2016 के विरूद्ध वर्तमान अपील दिनांक 2–2–17 को विलंब से प्रस्तुत की तथा विलंब को क्षमा करने बाबत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 10–1–2017 को होना बताया है, वह समर्थन योग्य नही होने से अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर भी खारीज योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–5–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13–4–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर